Sir, 1 lay a copy of each of the Bills on the Table.

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pradesh): Any announcement regarding the Presidential election result? (Interruptions).

THE .DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KALP NATH RAI): Giani Zail Singh is elected. *{Interruptions)*

THE UBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT), BILL, 1981—Contd.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Madam, Vice-Chairman, after the brilliant exposition and analysis of this important matter by Mr. Maqsood Ali Khan and Mr. Shahabuddin, I do not think there is need for me to elaborate on the legal and historic aspects of this amendment. I am also grateful to Mr. J. P. Mathur that at least once we have seen eye to eye during the last few days. He has also made very valuable suggestions, and I am very grateful to him for these suggestions.

Sir, we have brought this Bill and this amendment has come before Parliament. But the point that I want to make, Mr. Minister, is that I do not think that this amendment will serve the purpose. We have sought an extension of five years but on the basis of the extensions we have had during the last three terms, I do not think that the results have been achieved, the surveys have been completed or cases have been registered.

Let it be on record. I may not be there or Mr. Kaushal may not be there. Let it be on record that we will need five more such amendments of 5 years each unless and until the basic Act is amended Jind the basic Act, as suggested by all my friends, should give teeth to the Wakf Board in order to Implement the decisions of the Wakf Board for the purposes of eviction. Mr. Shahabuddin has made a very valuable point. It is that the Land Acquisition Act and other Acts, the court fee and other things are there in the way of prosecutions against evictions. With regard to the suggestion for converting it into the Public Premises Act. I would only draw the attention of the hon. Minister to Clause 2, sub-clause (ii) in which it is written that "for a local authority established by or under a Central Act". The Wakf Act has been passed under the Central Government and/or controlled by the Central Government. That also is satisfied. •[do not think there is any objection on the part of the Government. They should make this Public Premises Eviction Act also applicable to the Wakf property.

Secondly, Mr. Mathur has made a wonderful point and Mr. Shahabuddin has also made it. He has said that the property which is under the Government control should be returned to the Wakf Board. I will go a step further to which my other friends may or may not agree. In case the Government really feels that the property that they have already acquired is needed for public purposes, then the current rate of compensation should immediately be paid to the Wakf Boards. The second point that Mr. Mathur has made is about those properties which are under the illegal occupation. A survey has still to be conducted. But I have it on authority that about 400 such properties are under the illegal occupation in Delhi alone. This is a very grave thing. I feel that Mr. Mathur will agree with me that they should be evicted. But there is an human angle also to thitf problem. The human angle is this. Our Government under the leadership of Sheikh Mohammad Abdullah thinks that whenever there is a question of eviction of any man from any property, the first point is the rehabilitation of that person. I would request the hon. Minister that when these properties have been identified—they should do it very quickly—the rehabilitation process should immediately be -

undertaken, and all those persons who are having illegal occupation and having residential units or shops etc. should be rehabilitated. When that is done, then the other provisions of the Act should apply. This will not create any bitterness and this should be done without any further delay.

The last point that I have to make is with regard to the point raised by Mr. Maqsood Ali Khan. In these amendments, Artfcle 142 or 144 which has been mentioned by him is not applicable at the . present moment. Article 65 is applicable at the moment. It is possible that even when we pass ′ this Act, certain unscrupulous people may take advantage of this lacuna in the amendments and institute cases in courts. I would request the hon. Minister to look into it. T am not a legal man. But as the point has been raised, I would request the hon. Minister to look into it and if it is possible, an amendment can be carried out right now. I do not think that the Commissioner of Wakf property alone will solve the problem, as has been correctly pointed out by Mr. Mathur. The real representatives of the Muslims should be associated with the Wakf Boards. As suggested by Mr. Maqsood Ali Khan, legal experts, revenue experts and technical experts should be associated with these Boards so that these Boards are reactivated.

Madam, this matter is hanging Are for a long time. I request the hon. Minister that this amendment should be a comprehensive one. And as pointed out by Mr. Hashmi, all the Muslim Members associated with the wakf things should be informally consulted before this legislation is brought before the House. But it must not be delayed any longer than the next session.

With these words, I support this Amendment and thank you v.ery much.

श्री रफीक आलम (बिहार) मोहतरिमा वाइस चैयरमेन साहिबा, पहले तो मैं वजीरे कानून को दिल्ली मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा कि किस तरह से अमेंडमेंट लाया जाए, कि जो जमीन अभी तक सर्वे नहीं हुई है उस जमीन का सर्वे हो . और हमें खुशी है हमारे वजीरे कानून की नीयत बिलकुल साफ है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप कानून-दां भी रह चुके हैं, जस्टिस भी रह चुके हैं । और हमारे गवर्नर भी, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वह एक कांप्रिहैंसिव बिल लाएंगे जिससे वाक्फ की जमीन का सही इस्तेमाल हो । आप जानते हैं, औकाफ की जो भी जायदादें हैं उन पर किसी का हक नहीं है—न सरकार का हक है न किसी फर्द का हक है कि किसी बात को तलब करें इसलिए कि यह जनरल बहबूदी के लिए, रफामे आम के लिए जायदाद वक्फ किया जाता है, खुदा के नाम पर दिया जाता है । अगर औकाफ के वास्ते अच्छे कानून बनाए गए तो मुस्लमानों की जो माली हालत रोज-ब-रोज खराब हो रही है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा ।

इस सिलसिले में मैं चंद सुझाव देना चाहता हूं नंबर 1, कि कोर्ट फीस माफ की जाए जहां तक औकाफ का सवाल है, इस वजह से कि कोर्ट में नहीं जा पाते हैं, हमारे मुतवल्ली लोग और जमीन यूं ही रह जाती हैं दूसरों के हाथ में । दूसरी बात यह है कि औकाफी डेवलपमेंट कारपोरेशन बना कर औकाफ की जमीन का डेवलपमेंट किया जाए ताकि उसका पैसा रफाहे आम में खर्च हो ।

तीसरी बात मैं यह रखना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में अच्छे लोग रखे जाएं जिससे कानून का निफाज हो । और साथ ही साथ, यह देखा जाए कि वक्फ की प्रापर्टी का कोई गलत इस्तेमाल न करे । इन सुझावों के साथ मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री जगन्नाथ कौशल : मोहतरिमा, मुझे खुशी है कि जितने भी मेम्बर साहबान बोले हैं उन्होंने, किसी ने भी, इस बिल की मुखालिफत नहीं की। लेकिन उनकी स्पीचेज सुनने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि ये सब स्पीचेज मेरे काम आएंगी जब मैं वक्फ ऐक्ट के ऊपर अमेंडमेंट लेकर हाउस के सामने आऊंगा। जहां तक आज के बिल का ताल्लुक है, वह तो सब ने ही कहा है कि यह बहुत ठीक हुआ है क्योंकि अगर वे यह ना करें तो उसका मतलब तो यह होगा कि सभी वक्फ की जायदादों पर जो लोग दबा कर बैठे हैं वे मालिक हो जाएंगे। तो यह मन्शा तो किसी की भी नहीं है।

शहाबुद्दीन साहब ने कुछ फैक्ट्स एण्ड फिगर्स पूछे थे। खुशकिस्मती से वह मेरे पास हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि 31 दिसम्बर, 1981 तक 2,447 वक्फ की प्रापर्टी देहली के अन्दर सर्वे हुई और उस में से 1,811 गजेट हो गई लेकिन सरवे का काम अभी जारी है और इसीलिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि मीयाद बढ़ायी जाए और हम ने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को भी कह दिया है कि भाई, इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म करिए, हम कब तक मीयाद बढ़ाते जाएंगे? दूसरे फिगर्स मेरे पास यह हैं--दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 577 केसेज 1976 से 1980 के दरम्यान दायर किए। उन का ब्रेक-अप यह है--1976 में 16, 1977 में 3, 1978 में 40, 1979 में 34 और 1980 में 484। इन का टोटल बन गया 577। इन में से 157 केस का फैसला हो गया है जिन में से 108 केस वक्फ बोर्ड के हक में फैसला हुए हैं और 49 केस उनके खिलाफ फैसला हुए हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन सब 49 केसेज में अपील फाइल कर दी है और जब एक्सटेंड किया हुआ टाइम उन को मिल जायेगा तो उनके पास 300 केस दायर करने के लिए और तैयार हैं, सर्वे में और जायदादें आ जायेंगी, उनके मुताल्लिक कोशिश की जायेगी कि उनको वापस लेने के कदम उठाये जायें। यह फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं यह समझता था कि इतना कहने के बाद मुझे कह देना चाहिए कि--बिल को पास किया जाय क्यों कि इस बिल के मकसद से किसी को मुखालिफत नहीं है।

लेकिन बहुत सी बातें दोस्तों ने कही हैं। मैं मशकूर हूं। मैं दाद भी देता हूं कि इस बिल के होते हुए वह सारी बातें कह दी और बहुत जोर-शोर से कह दीं जिन का, मुझे माफ किया जाये, इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं था।

श्री सैयद अहमद हाशमी : माफ करिए, मैं मदाखलत कर रहा हूं। मैंने कहा था कि आपका यह बिल सिर्फ उन्हीं जायदादों को कवर करता है जिनका ताल्लुक उन कब्जों से है जिनका मकसद आपके वाजेह किया है, लेकिन दूसरे बहुत से कब्जे हैं।

شری سید احمد ہاشمی — معاف کریئے ۔ میں مداخلت کر رہا ہوں ۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کا یہ بل صرف اُن ہی جائدادوں کو کور کرتا ہے جس کا تعلق اُن قبضوں سے ہے جن کا مقصد آپ نے واضح کیا ہے ۔ لیکن بہت سے قبضے ہیں ۔

श्री जगन्नाथ कौशल : उनका ताल्लुक इस बिल से नहीं है, वक्फ एक्ट का ताल्लुक है। इसका ताल्लुक तो इस से है

f[ ] Transliteration in Arabic .script.

कि मियाद बढ़ाई जाय या न बढ़ाई जाय। जिन मुकदमात की मियाद खत्म हो चुकी है उनको काबिज के कब्जे में न दिया जाय, वक्फ बोर्ड को इजाजत दी जाय दावा करने की कि वापस ले लो। बाकी की बातें जो दोस्तों ने कही हैं मैंने सब नोट कर ली हैं। वह मेरे काम आयेंगे।

श्री सैयद अहमद हाशमी : बर्नी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपको जरूर फरमाना चाहिए।

†[شری سید احمد هاشمی : برنی کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں آپ کو ضرور فرمانا چاهئیے -]

श्री जगन्नाथ कौशल : उसके मुताल्लिक मेरी अर्ज सिर्फ यह है कि यह मामला मेरे नोटिस में जब पिछली मीटिंग हुई थी लाया गया था। अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कोशिश करूंगा ताकि आप यह महसूस कर सकें कि किसी मिनिस्टर ने आने के बाद कोई काम किया। खुशकिस्मती से मेरे पास एक ऐसे कुलोग हैं जिनको इन सब मामलात की वाकफियत है, रहीम साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मामले में कुछ खुसूसी तवज्जह देकर जरूर कोई न कोई नुमायां कार्यवाही कर के हम को आप के सामने आना चाहिए।

बाकी दोस्तों ने, जैसा मैंने कहा, बहुत सी बातें कहीं। उन में से बहुत सी बातें हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जह जानी चाहिए।

कोर्ट फीस के मुताल्लिक आप ने एक बात कही। मैं बताना चाहता हूं स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को और ला मिनिस्टर्स को इस बात पर मैं राजी नहीं कर सका कि कोर्ट फीस बिलकुल माफ कर दी जाय, लेकिन एक कमेटी बन गयी है जिसका नाम है रेशनलाइजेशन आफ कोर्ट फी कमेटी। उस के कनवीनर हमारे रहीम साहब हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब यह है कि कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिन पर कोर्ट फीस बिलकुल नहीं लगनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि हमारी जायदादें हैं, यह तो खुदा के नाम पर जायदादें हैं, इन पर कोर्ट फीस नहीं होनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं यह बात मान ली जाय। कई मुकदमात ऐसे हैं जिन पर कोर्ट फीस नहीं लेनी चाहिए चाहे मुकदमा दायर करने वाला गरीब हो या अमीर हो। दो-चार मिसालें हैं। जबरदस्ती किसी की जायदाद हम ने ले ली। जब उन को अपील करनी पड़ती है तो उसको पूरी कोर्ट फीस देनी पड़ती है। एक तो उसकी जायदाद ले ली, उसको पूरा पैसा नहीं मिला और जब वह पैसा मांगता है तो उस से कोर्ट फीस मांगी जाती है। यह ज्यादती है। एक्सीडेंट के केसेज हैं। ला मिनिस्टर्स ने मुझे यकीन दिलाया है कि आपकी बात मानेंगे। और दूसरा यकीन उन्होंने यह दिलाया है कि जो सचमुच नीडी आदमी है, जो गरीब है, जो सचमुच दे नहीं सकता उस से नहीं लेना चाहिए उसके लिये वह कोशिश करेंगे और जो दे सकता है, जिसमें ताकत है उससे लेंगे। अब उनकी शरह क्या होनी चाहिए, सारे हिन्दुस्तान में वह यूनिफार्म होनी चाहिए या नहीं, यह सब बातें उस कमेटी के सामने आयेंगी। हालांकि मैं पूरे तौर से जिस बात में कामयाब होना चाहिए था उसमें कामयाब नहीं हो पाया और मेरा यह उसूल मानने के बाद भी कि इंसाफ देना गवर्नमेंट का प्राइमरी काम है तो जो इंसाफ मांगने

t[ ] Transliteration in Arabic script.

[श्री जगन्नाथ कौशल]

आये उससे पैसा मत मांगो भले ही उस से टैक्स की शक्ल में कुछ ले लो, लेकिन इंसाफ देने के लिये कुछ मत मांगो, वह लोग सहमत नहीं हुए। यह बात उन्होंने नहीं मानी इस लिये कि उनके रिसोर्सेज परमिट नहीं करते इस बात को। तो मैं किसी लम्बी बात में नहीं जाऊंगा लेकिन जो जो सजेशन्स आप लोगों ने दिये हैं उन पर गौर किया जायगा। एक टेक्निकल बात हमारे एक दोस्त ने कही थी . . .

श्री सैयद शाहेदुल्ला : उन का स्टेट ये फाइनेंसेज के साथ सरोकार है।

श्री जगन्नाथ कौशल : यही तो झगड़ा है और यह स्टेट सब्जेक्ट है। एक बात हमारे दोस्त ने कही थी कि आप अमेंड्मेंट कर रहे हैं लेकिन यह पुराने लिमिटेशन ऐक्ट का क्यों हवाला है। जनरल क्लाजेज ऐक्ट की सेक्शन 8 कहती है कि जब पुराने ऐक्ट का रेफरेंस हो तो करस्पांडिंग सेक्शन्स ही गिनी जायेंगी। तो मैं अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और मैं अब दरख्वास्त करूंगा कि

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): The question is:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union Territory of Delhi, be taken into consideration."

The motion xoas adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 *was added* to *the Bill.*

Clause 1—Short title, extent and commencement.

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: Madam, I move:

(2) "That at page 1, iin$_e$ 1. for the figure "1981" the figure '1982'. be *substituted."*

The question tods put *and the* motion *was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The *motion was adopted.*

Clause 1, *as amended, was added* to *the Bill.*

The Enacting formula

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: Madam, I move.

(1) "That at page 1, line 4, *for* the word 'Thirty-second' the word 'Thirty-third' be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): The question is:

"That the Enacting formula, as amended, stand part of the Bill."

The *motion was adopted.*

The Enacting formula, as amended, tons added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: Madam, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA): The House stands adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at thirty minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 16th July, 1982.

GMGIPMRND—RS 1—756 RS—9-2-83—570.